न्यायालय लैण्ड रेकर्ड ओफिसर (एस.डी.ओ.) सिरोही राज.
बईजलास पीठासीन अधिकारी हंसमुख कुमार ,आर.ए.एस

रा.प्रा.पत्र संख्या 110/2019

प्रार्थी
भोपत कुंवर पत्नि श्री ईश्वरसिंह जाति राजपूत आयु 48 वर्ष निवासी वेरापुरा तहसील व जिला सिरोही

बनाम

अप्रार्थी
1– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सिरोही
2– जनकसिंह पुत्र श्री ईश्वरसिंह जाति राजपूत निवासी वेरापुरा तहसील व जिला सिरोही

उपस्थित :–
1–प्रार्थी की ओर से वकील श्री जितेन्द्रसिंह देवडा
2–अप्रार्थी स्टेट तह.सिरोही की ओर से पैरोकार सरकार (नायब तहसीलदार कालन्द्री)

रा.प्रा.पत्र अर्न्तगत धारा 136 राज.भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत वास्ते राजस्व रेकर्ड इन्द्राजात दुरूस्ती करने हेतु

आदेश

दिनांक 17 –2–2020

प्रार्थी ने जरिये वकील ने यह राजस्व प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 136 राज.भू.राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरूद्व अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार सिरोही का वास्ते राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राजात दुरूस्ती करवाने का इस न्यायालय मे दि 12–12–2019 को पेश किया जिसका प्रार्थनापत्र मे संक्षेप मे तथ्यात्मक विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अपने उक्त प्रार्थनापत्र के माध्यम से यह निवेदन किया कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 सहखातेदारान के साथ संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि कब्जे काश्त की खातेदारी कृषि भूमि मौजा रामपुरा पटवार हल्का रामपुरा तहसील व जिला सिरोही मे राजस्व रेकर्ड जमाबंदी संवत 2073–2076 के अनुसार नया खाता संख्या 173 खसरा नंबर 1191/577 रकबा 1.0000 हैक्टेयर खसरा नंबर 1193/578 रकबा 0.0100 हैक्टेयर खसरा नंबर 1196/578 रकबा 0.9600 हैक्टेयर खसरा नंबर 1199/617 रकबा 0.0800 हक्टेयर व खसरा नंबर 1202/618 रकबा 0.0200 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल क्षैत्रफल 2.0700 हैक्टेयर उपरोक्त वर्णित आराजी मे राजस्व रेकर्ड अनुसार खातेदार भूपत कुंवर पत्नि ईश्वरसिंह दर्ज है जो ईश्वरसिंह पुत्र नाथूसिंह की मृत्यु के बाद उनके वारिसान मे नामान्तकरण दर्ज के समय राजस्व कर्मचारियों की भूल व त्रुटिवश खातेदार भोपतसिंह पत्नि स्व. ईश्वरसिंह के स्थान पर गलत नाम भूपत कुंवर पत्नि ईश्वरसिंह दर्ज कर दिया है। जबकि प्रार्थीया की अन्य खातेदारी मौजा मांकरोडा के खाता संख्या नया 9 पुराना 10 मे भोपत कुंवर पत्नि स्व. ईश्वरसिंह का सही इन्द्राज किया हुआ है एवं अन्य समस्त दस्तावेज आधार कार्ड ,वोटर कार्ड ,राशन कार्ड बैंक खाता ,भामाशाह कार्ड आदि मे भोपत कुंवर पत्नि ईश्वरसिंह के नाम से बने हुये है। राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियो की लापरवाही व भूल से राजस्व रेकर्ड मे भोपतकुंवर पत्नि ईश्वरसिंह के नाम का गलत इन्द्राज कर देने से प्रार्थीया को अकारण परेशानी का सामना करना पड रहा है। उक्त त्रुटि को सुधारने हेतु कई बार प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थी संख्या एक को निवेदन किये गये एवं हल्का पटवारी से भी निवेदन किया गया लेकिन बावजूद निवेदन आज दिन तक अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा राजस्व रेकर्ड मे उक्त त्रुटि को सुधारकर सही इन्द्राज भूपत कुंवर के स्थान पर भोपत कुंवर नही करने से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण पैदा हुआ है। अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार फरमाया जाकर मौजा रामपुरा पटवार हल्का रामपुरा तहसील व जिला सिरोही मे स्थित कृषि भूमि खाता संख्या नया 173 मय प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजी मे खातेदार भूपत कुंवर पत्नि ईश्वरसिंह के स्थान पर सही नाम भोपत कुंवर पत्नि ईश्वरसिंह के दर्ज करने हेतु अप्रार्थी संख्या एक को निर्देश दिलाना फरमावें ।

विचारण प्रकरण मे इस न्यायालय मे सुनवाई पेशी दिनांक 10–2–2020 को अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार सिरोही की ओर से पैरोकार सरकार (नायब तहसीलदार कालन्द्री) ने जवाब पेश कर कथन किया कि मौजा रामपुरा पटवार हल्का रामपुरा तहसील व जिला सिरोही की जमाबंदी संवत 2073 से 2076 तक के खाता संख्या 173 मे सहखातेदार मे भूपतकंवर पत्नि ईश्वरसिंह 1/2 हि. दर्ज है जबकि अन्य ग्राम माकरोडा की जमाबंदी संवत 2071–2074 मे खाता संख्या 9 मे उसी खातेदार का नाम भोपत कंवर पत्नि ईश्वरसिंह 1/12 हि. दर्ज है। प्रार्थीया अपना नाम माकरोडा की जमाबंदी मे सही नाम दर्ज है। उसी नाम को ग्राम रामपुरा मे दर्ज करवाना चाहती है। सबूत के तौर पर आधार कार्ड ,भामाशाह ,राशनकार्ड की प्रतियॉं पेश की है। जिसमे भोपतकुंवर दर्ज है। अतः भूपतकुंवर पत्नि ईश्वरसिंह के स्थान पर भोपतकुंवर पत्नि ईश्वरसिंह संशोधित करना उचित है। इस न्यायालय मे दिनांक 10–2–2020 को विचारण प्रार्थनापत्र पर वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार द्वारा अंतिम बहस करने से अंतिम बहस सुनी गई।

हमने विचारण प्रकरण मे प्रार्थी के प्रार्थनापत्र व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त दस्तावेजात प्रतियॉं व जवाब तहसीलदार,सिरोही का गहनतापूवक अवलोकन कर उस पर मनन किया तथा वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की अंतिम बहस सुनकर उस पर मनन किया । विचारण सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन के उपरान्त यह पाया कि मौजा रामपुरा पटवार हल्का रामपुरा तहसील व जिला सिरोही की जमाबंदी संवत 2073 से 2076 तक के खाता संख्या 173 मे सहखातेदार मे भूपतकंवर पत्नि ईश्वरसिंह 1/2 हि. दर्ज है जबकि अन्य ग्राम माकरोडा की जमाबंदी संवत 2071–2074 मे खाता संख्या 9 मे उसी खातेदार का नाम भोपत कंवर पत्नि ईश्वरसिंह 1/12 हि. दर्ज है। प्रार्थीया अपना नाम माकरोडा की जमाबंदी मे सही नाम दर्ज है। उसी नाम को ग्राम रामपुरा मे दर्ज करवाना चाहती है। सबूत के तौर पर आधार कार्ड ,भामाशाह ,राशनकार्ड की प्रतियॉं पेश की है। जिसमे भोपतकुंवर दर्ज है। उपरोक्तानुसार प्रार्थीया के नाम की राजस्व रेकर्ड मे हुई त्रुटि लिपिकिय त्रुटि की परिभाषा मे आने से उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है। अतः उपरोक्त सभी के आधार पर प्रार्थी यह प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956 के तहत विरूद्व अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार सिरोही का वास्ते राजस्व रेकर्ड मे दुरूस्ती करवाने का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार सिरोही (भूमिधारी अधिकारी) को आदेश दिया जाता है कि मौजा मौजा रामपुरा पटवार हल्का रामपुरा तहसील व जिला सिरोही मे राजस्व रेकर्ड जमाबंदी संवत 2073–2076 के अनुसार नया खाता संख्या 173 खसरा नंबर 1191/577 रकबा 1.0000 हैक्टेयर खसरा नंबर 1193/578 रकबा 0.0100 हैक्टेयर खसरा नंबर 1196/578 रकबा 0.9600 हैक्टेयर खसरा नंबर 1199/617 रकबा 0.0800 हक्टेयर व खसरा नंबर 1202/618 रकबा 0.0200 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल क्षैत्रफल 2.0700 हैक्टेयर की वर्तमान जमाबंदी मे खातेदार भूपत कुंवर पत्नि ईश्वरसिंह के स्थान पर सही नाम भोपत कुंवर पत्नि ईश्वरसिंह दर्ज कर जमाबंदी अपडेट कर पालना से इस न्यायालय को अवगत करावें । आदेश सरे ईजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

लैण्ड रेकर्ड ओफिसर(एस.डी.ओ.)
सिरोही

उपरोक्त निर्णय आज दिनांक 17–2–2020 को मेरे हस्ताक्षर,पदनाम,व न्यायालय की गोल मुहार से जारी किया गया ।

लैण्ड रेकर्ड ओफिसर(एस.डी.ओ.)
सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Hansmukh Kumar
Date: 2020.02.21 14:45:59 IST
Reason: SelfAttested